कार्यालय नगर पंचायत भटनी बाजार, देवरिया

संख्या 1171(16)/न0पं0भ0बा0/2014–15, दिनांक 22 जनवरी, 2015

अल्पकालीन कोटेशन सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा भा0 सं0 8/4855/92(1)/13वां वि0 आ0 दिनांक 22–07–2013 द्वारा प्राप्त अनुदान का अवशेष मु0–727626.00, भा0 सं0 8/5400/92(1)/13वां वि0 आ0/2013–14, दिनांक 01 फरवरी, 2014 मु0–723970.00, भा0 सं0 8/5458/92(1)/13वां वि0 आ0/2013–14, दिनांक 28–02–2014 मु0–1015805.00, भा0 सं0 8/5542/92(1)/13वां वि0 आ0/2013–14 दिनांक 31–03–2014 मु0–694011.00, शा0सं0 8/6017/92(1)/13वां वि0आ0/(सामान्य बुनियादी किश्त)वित्तीय वर्ष 2014–15 दिनांक 20–10–2014 मु0–1138115.00 अर्थात कुल मु0–4299527.00 (बयालिस लाख निन्यानबे हजार पांच सौ सत्ताइस मात्र) तथा उक्त खाते में प्राप्त व्याज दिनांक 05–03–2010 मु0–2114.00 दिनांक 05–09–2010 मु0–3256.00, दिनांक 05–03–2011 मु0–12944.00, दिनांक 07–09–2011 मु0–16495.00, दिनांक 10–03–2012 मु0–20438.00 दिनांक 02–09–2012 मु0–4207.00 दिनांक 03–03–2013 मु0–44943.00, दिनांक 01–09–2013 मु0–57716.00 दिनांक 02–03–2014 मु0–78424.00 व दिनांक 07–09–2014 मु0–112943.00 अर्थात कुल व्याज मु0–353480.00 (तीन लाख तिरपन हजार चार सौ अस्सी मात्र) प्राप्त अनुदान एवं व्याज की धनराशि का योग मु0–4653007.00 (छियालिस लाख तिरपन हजार सात मात्र) से कराये जाने वाले सामग्री आपूर्ति की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी महोदय देवरिया को भेजा गया था। कार्यालय जिलाधिकारी देवरिया के पत्रांक सं0 943(1–20)/एल0वी0सी0–टी0ए0सी0–2014, दिनांक 27 नवम्बर, 2014 द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, जिला पंचायत, तथा लोक निर्माण विभाग आदि के पंजीकृत ठेकेदारों जिनका पंजीयन वर्तमान समय में प्रभावी है एवं रजिष्टर्ड फर्मों/दुकानों/एजेंसियों से मुहरबंद दरें **दिनांक 05–02–2015** को समय 12:00 बजे मध्यान्ह से 01:00 बजे अपरान्ह तक आमंत्रित की जाती है, जो जिलाधिकारी कार्यालय के टी0ए0सी0 पटल पर रखी गयी कोटेशन पेटिका में डाली जायेंगी व उसी दिन उपस्थित ठेकेदारों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) देवरिया के कार्यकक्ष में खोली जायेगी। कोटेशन के साथ जमानत/धरोहर धनराशि के रूप में 10% एन0एस0सी0, के0वी0पी0 एफ0डी0आर0 आदि जो अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत भटनी बाजार के पदनाम बंधक हो मुल रूप में संलग्न कर उसका उल्लेख कोटेशन प्रपत्र पर करना अनिवार्य होगा। जमानत धनराशि के प्रपत्रों की छाया प्रति मान्य नहीं होगी। अनुदान से अधिक व्यय धनराशि का भुगतान राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान/नगर कोश से किया जायेगा। कोटेशन सम्बंधित जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कोटेशन प्रकाशन की तिथि से कोटेशन प्रपत्र की विक्री की तिथि तक कार्यालय नगर पंचायत भटनी बाजार से प्राप्त की जा सकती है। यदि कोटेशन प्रपत्र डालने की तिथि को कोई अवकाश पड़ता है तो कोटेशन प्रपत्रों की डालने की कार्यवाही अग्रिम तिथि को उक्त समयान्तर्गत की जायेगी। उक्त विज्ञापन को वेबसाइट www.deoria.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

ठोस अपशिश्टः–

क0 सं0	सामग्री का नाम	जमानत धनराशि
1	2	3
1	ट्रैक्टर एक अदद (महिन्द्रा कंपनी)	65700.00
2	टाटा मैजिक 05 आन रोड 04 पहिया ट्रिपर, वैट, भाड़ा, ड्राइवर खर्च सहित	44000.00
3	कूड़ादान जी0बी0आर0डब्लू0–12–04–120 लीटर वैट सहित	6900.00
4	मैलाथियान डस्ट 05 प्रतिशत डब्लू0/पी0 25 कि0ग्रा0 बोरी वैट सहित	1900.00
5	वाटर कुलर फुल सेट सहित	30000.00
6	किंग फास	5700.00
7	फिनायल वैट सहित	1500.00
8	मेरा 71	1000.00
9	टेमीफास 50 ई0सी0 05 ली0 पैक	5000.00
10	ब्लीचिंग पाउडर 25 कि0ग्रा0 बोरी वैट सहित	1900.00
11	सींक झाडू	1800.00
12	कुदाल	1000.00
13	बेलचा	1200.00
14	गईंता	400.00

15	रम्मा	200.00
16	हैमर	350.00
17	हाथ ठेला गाड़ी स्कूटर पहिया सहित	28500.00
18	कूड़ापात्र वैट सहित	24000.00
19	स्काई लिफ्टर	196500.00

जलापूर्तिः–

क्र0 सं0	सामग्री का नाम	जमानत धनराशि
1	2	3
1	पानी टैंकर स्टील	81000.00
2	इन्डिया मार्का 2 हैण्डपम्प स्थापना कार्य सहित	70000.00

ई गवर्नेन्सः–

क्र0 सं0	सामग्री का नाम	जमानत धनराशि
1	2	3
1	फोटो स्टेट मशीन कम्प्लीट सेट	12800.00

नियम एवं शर्तें :–

1– कोटेशनदाता को अनिवार्य रूप से अपना अद्यतन जिलाधिकारी से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र एवं पंजीयन प्रमाण पत्र कोटेशन के साथ संलग्न करना होगा। अन्यथा कोटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा।

2– सामग्री आपूर्ति हेतु कोई भी अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।

3– कोटेशनदाता द्वारा सामग्री आपूर्ति का कोटेशन रजिश्टर्ड फर्मों / दुकानों / एजेनसियों द्वारा अपने फर्म / दुकान / एजेन्सी के लेटर पैड पर स्पश्ट रूप से स्वहस्ताक्षरित अपना नाम, मोबाईल नं0 एवं पता अंकित करके तथा साथ ही साथ टिन, पैन, पंजीयन आदि प्रमाणपत्रों की छायाप्रति संलग्न करके जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उनके कोटेशन / कोटेशन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

4– कोटेशनदाता को अपने कोटेशन के साथ 10% की दर से जमानत / धरोहर धनराशि आगणन की धनराशि के सापेक्ष किसान विकास पत्र / राश्ट्रीय बचत पत्र / बैंक एफ0डी0आर0 / टी0डी0आर0 आदि को कोटेशन प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। बिना जमानत के कोटेशन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। प्रत्येक कार्य के लिए अलग–2 जमानत हेतु कि0वि0प0 / एन0एस0सी0 / बैंक एफ0डी0आर0 / टी0डी0आर0 जमा करना आवश्यक होगा।

5– कोटेशन स्वीकृति के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर ठेकेदार को नियमानुसार कार्य के संबंध में स्टाम्प एक्ट के अनुसार 7 प्रतिशत जमानत धनराशि के सापेक्ष अपने व्यय से स्टाम्प क्रय कर अनुबंध / इकरारनामा अनिवार्य रूप से लिखना होगा।

6– ठेकेदार को निर्माण स्थल पर अपने निर्माण सामग्री की सुरक्षा स्वयं करनी होगी।

7– ठेकेदार को निर्माण कार्य कार्यादेश में दिये गये नियत समय के अन्दर पूर्ण करना होगा, यदि निर्धारित समय तक कार्य पूरा नहीं हुआ तो ठेकेदार द्वारा जमा जमानत की धनराशि जब्त करते हुए ठेका निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।

8– ठेकेदार को आगणन के अनुसार निर्माण कार्य कराना होगा। निर्माण कार्य में किसी प्रकार की त्रुटि / कमी पाये जाने पर कोटेशन निरस्त की जा सकती है।

9– निर्माण कार्य स्थल पर किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर जिला प्रशासन / न0पं0 द्वारा दिए गये आदेशों / निर्देशों का पालन ठेकेदार को करना होगा।

10– जमानत की धनराशि, स्थल पर कार्य संतोशजनक पाये जाने पर अंतिम भुगतान के पश्चात छः माह व्यतीत हो जाने पर, जमानत धनराशि वापस की जा सकेगी ।

11– कोटेशनदाता को अपनी कोटेशन स्पश्ट रूप से कम या अधिक प्रतिशत में देनी होगी।

12– किसी भी कोटेशन या समस्त कोटेशनओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।

13– कोटेशन प्रपत्र पर कोटेशनदाता के स्पश्ट हस्ताक्षर होने चाहिये तथा संलग्न जमानत धनराशि का उल्लेख कोटेशन प्रपत्र में अंकित होना आवश्यक है अन्यथा कोटेशन मान्य नहीं होगी।

14– किसी भी ठेकेदार अथवा उसके सहयोगी द्वारा कोटेशन इत्यादि कार्य में अपमान, अभद्रता, दुर्व्यवहार इत्यादि करने पर सम्बन्धित को ब्लैक लिस्टेड (काली सूची में) करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी।

15– कोटेशन प्रपत्र पर कटिंग / ओवरराइटिंग मान्य नहीं होगा।

16– कोटेशन स्वीकृति के पश्चात जमानत की धनराशि तथा नियमानुसार स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा लिखने के पश्चात ही कार्यादेश जारी किया जायेगा।

17– सम्बंधित फर्मों/दुकानों/एजेंसियों द्वारा अपने फर्म/दुकान/एजेंसी के लेटर पैड पर क्रय सामग्री का कोटेशन मुहरबंद लिफाफें में देना अनिवार्य होगा, अन्यथा कोटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा।

18– 13वां वित्त आयोग के धनराशि के भुगतान की अवधि 31–03–2014 तक ही है।

19– भुगतान भाासकीय अनुदान की भार्तों तथा वित्तीय नियम संग्रह के अनुसार किया जायेगा।

20– कोटेशन अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी के नाम सीलबंद लिफाफे में निर्धारित तिथि व समय के अन्तर्गत कोटेशन पेटिका में डालना होगा। लिफाफे पर प्रेशक का नाम पता इत्यादि स्पष्ट लिखा होना अनिवार्य है।

(सीताराम यादव)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत भटनी बाजार
देवरिया।

(विजय कुमार गुप्त)
अध्यक्ष
नगर पंचायत भटनी बाजार
देवरिया।